

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद:- बस्ती

दिनांक:- 24.05.2021

SOG, सर्विलांस, आबकारी व थाना हरैया पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों को 800 लीटर रेक्ट्री फाईड स्प्रीट व 325 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब (कुल 1125 लीटर) कीमत करीब 8,00,000/- रुपये तथा एक अदद मोटर साईकिल के साथ किया गया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्रनाथ चौधरी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी SOG निरीक्षक श्री मृत्युञ्जय पाठक, प्रभारी निरीक्षक हरैया श्री विकास यादव , आबकारी निरीक्षक श्री संजय कुमार तथा प्रभारी सर्विलांस श्री जितेन्द्र सिंह की संयुक्त टीम के कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक:-24.05.2021 को विभिन्न स्थानों से अवैध जहरीली शराब बनाने व बेचने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को 04 ड्रम मे कुल 800 लीटर रेक्ट्री फाईड स्प्रीट व 05 प्लास्टिक के गैलन मे कुल 325 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब मय एक अदद सुपर स्पेलण्डर मोटर साईकिल के साथ अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हरैया पर मु0अ0सं0 165/21 धारा 272 IPC व 60(क) 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- (01) विनोद राजभर पुत्र हरीलाल राजभर निवासी ग्राम पिनेसर थाना हरैया जनपद बस्ती ।
- (02) भजिमन उर्फ कुकुन पुत्र राम उजागिर निवासी ग्राम पिनेसर थाना हरैया जनपद बस्ती ।
- (03) गोली राजभर पुत्र जगिराम निवासी ग्राम पिपरी थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
- (04) राजू गुप्ता उर्फ जरलाहे पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी नरायनपुर तिवारी थाना हरैया जनपद बस्ती ।

बरामदगी का विवरण:-

- (01) 04 ड्रम मे कुल 800 लीटर रेक्ट्री फाईड स्प्रीट ।
- (02) 05 प्लास्टिक के गैलन मे कुल 325 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब ।
- (03) एक अदद सुपर स्पेलण्डर मोटर साईकिल ।
- (04) चारों अभियुक्तों के पास से जामा तलासी के 2080 रुपये बरामद ।

घटना/पूछताछ का विवरण:-

मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम महादेवरी जाने वाली सड़क सागौन के बाग के पास से विनोद राजभर पुत्र हरिलाल व भजिमान उर्फ कुकुन को 65 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो दोनो अभियुक्तो ने बताया कि हम लोग इसे अपने छतों पर छुपाकर रखे हैं। जिस पर उक्त दोनो अभियुक्तों के निशानदेही पर पहले विनोद राजभर उपरोक्त के घर पहुँचे तो अपने घर के चैनल को खुलवाकर कमरे के अन्दर से एक ड्रम रेक्ट्री फाईड स्पीट 200 लीटर बरामद कराया पश्चात वहाँ से अभियुक्त भजिमान उर्फ कुकुन उपरोक्त के घर पहुँचा गया मकान के अन्दर से होते सिढी से छत पर ले गया जहाँ पर कोने मे दो गैलन मे अपमिश्रित शराब कुल 130 लीटर बरामद हुआ जिसे मौके पर ही कब्जा पुलिस मे लिया गया उसके उपरान्त पुनः कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त विनोद राजभर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे ससुराल ग्राम पिपरी थाना दुबौलिया मे मेरे ससुर के भाई गोली राजभर के सहयोग से काम करते है अपने क्षेत्र मे स्पीट से अपमिश्रित शराब तैयार करके अपने साथी भजिमान उर्फ कुकुन के सहयोग से बेचते है तथा ऊधर अपने क्षेत्र मे गोली बेचते है। उक्त अभियुक्त गणों को साथ लेकर विनोद राजभर के ससुराल ग्राम पिपरी थाना दुबौलिया पहुँचा गया जहाँ पर गोली राजभर S/o जगिराम मिले जिनको साथ लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपने छप्पर के तरफ ले गया जहाँ से दो ड्रम मे कुल 400 लीटर रेक्ट्रीफाईड स्पीट व एक गैलन मे 65 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुआ पुनः कड़ाई से पूछ-ताछ किया गया तो कि स्पीट कहा से लायी जाती है तो उक्त अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोग स्पीट राजू गुप्ता उर्फ जरलाहे ग्राम नरायणपुर तिवारी से लेते है। उसके उपरान्त उक्त अभियुक्तगणों को साथ लेकर हम पुलिस वाले राजू गुप्ता उर्फ जरलाहे के घर ग्राम नरायणपुर तिवारी पहुँचे जहाँ पर राजू गुप्ता बरामदे मे मिला। जिससे पूछताछ किया गया तो बताया की यहाँ मेरा परिवार रहता है। इसी लिए मै जो स्पीट का काम करता हूँ वह अपने दूसरे मकान पर रखता हूँ। जिसको साथ लेकर उक्त अभियुक्तगणों व माल के साथ राजू गुप्ता उर्फ जरलाहे के निशानदेही पर उसके दूसरे मकान पर पहुँच गया जहाँ पर अपने मकान के कमरे के अन्दर त्रिपाल से ढका एक अदद ड्रम मे 200 लीटर रेक्ट्रीफाईड स्पीट व एक गैलन मे 65 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुआ। चारो लोगो से सामुहिक रूप से पूछा गया तो सभी ने बताया की हम सभी लोग एक लीटर स्प्रिट में पानी व अन्य पदार्थ मिलाकर **एक लीटर स्प्रिट से पाँच लीटर शराब बनाकर 60-70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचते है।** रेक्ट्रीफाईड स्प्रिट व अपमिश्रित शराब को आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए यह कारोबार करते है।

आपराधिक इतिहास:-

A. राजू गुप्ता पुत्र उर्फ जरलाहे पुत्र अयोध्या प्रसाद

- (01) मु0अ0सं0 70/2018 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (02) मु0अ0सं0114/2013 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (03) मु0अ0सं0189/2009 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।

B. विनोद पुत्र हरिलाल

- (01) मु0अ0सं0 26/2021 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (02) मु0अ0सं0 350/2020 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (03) मु0अ0सं0 361/2018 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (04) मु0अ0सं0 174/2018 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (05) मु0अ0सं0 970/2017 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।

C. भजिमन उर्फ कुकुन पुत्र राम उजागिर

- (01) मु0अ0सं0 231/2019 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (02) मु0अ0सं0 1296/2010 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (03) मु0अ0सं0 34/2020 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (04) मु0अ0सं0 25/2019 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (05) मु0अ0सं0 256/2018 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (06) मु0अ0सं0 201/2018 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (07) मु0अ0सं0 1066/2017 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।
- (08) मु0अ0सं0 457/2017 धारा 60 Ex Act थाना हरैया जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी SOG निरीक्षक मृत्युजंय पाठक जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी निरीक्षक हरैया श्री विकास यादव जनपद बस्ती ।
3. आबकारी निरीक्षक श्री संजय कुमार जनपद बस्ती ।
4. प्रभारी सर्विलांस श्री जितेन्द्र सिंह जनपद बस्ती ।
5. उ0नि0 सुरेश यादव थाना हरैया जनपद बस्ती ।
6. हे0का0 बुद्धेश कुमार, हे0का0 दिलीप कुमार, हे0का0 आदित्य पाण्डेय, का0 अजय कुमार यादव SOG टीम जनपद बस्ती ।
7. हे0का0 महेन्द्र यादव, का0 सौरभ सिंह, का0 गोविन्द यादव , म0का0 कामना व म0का0 प्रियंका त्रिपाठी थाना हरैया जनपद बस्ती ।
8. का0 जितेन्द्र यादव, का0 जनार्दन, का0 संतोष यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।